संजय कुमार अग्रवाल अध्यक्ष Sanjay Kumar Agarwal Chairman







भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Indirect Taxes & Customs

08th July, 2024

DO No. 28/News Letter/CH(IC)/2024

Dear Colleague,

The 125th episode of the "*Har Budhvar GST Var*" initiative of NACIN Bhopal was conducted last week and was centred around the trade-friendly measures taken in the 53rd GST Council Meeting. I had occasion to give introductory address in the webinar. Such webinars lead to continuous learning and dialogue in the realm of GST and have garnered much appreciation among stakeholders. I congratulate the entire team and wish them continued success in facilitating relevant and fruitful discussions on GST-related topics.

On the anti-smuggling front, an excellent case was booked by Customs officials at Delhi International Airport on the basis of spot profiling. A passenger, upon arrival, declared a brand new Louis Vuitton Bag valued at Rs. 2.5 lakh to pay customs duty at the customs red channel. The passenger calmly paid the applicable customs duty at the red channel and proceeded towards the green channel. However, the officer at the red channel counter noticed a suspiciously high frequency of foreign travel of the pax and was, therefore, intercepted by the Customs officers after he had crossed the green channel. On examination of the belongings, 04 rectangular bars of gold weighing 5.409 Kgs were recovered. The pax had deliberately paid duty on Louis Vuitton bag to ward off suspicion of carrying gold. All credit goes to the vigilant officers for their timely interception!

Based on the intelligence developed by the officers of Air Intelligence Unit at Chennai International Airport, a passenger was intercepted. On examination of the check-in baggage, 2 boxes containing more than 400 different coloured baby Iguanas were recovered. While 335 alive Iguanas were departed to the country of origin, the rest had unfortunately died during their illegal journey. All of these

Iguanas fall under the Appendix-I & II of CITES and Schedule-IV of the Wild Life Protection Act, 1972. Great work in rescuing the vulnerable species!

Until next week!

Yours sincerely,

(Sanjay Kumar Agarwal)

All Officers and Staff of the Central Board of Indirect Taxes & Customs.

संजय कुमार अग्रवाल अध्यक्ष Sanjay Kumar Agarwal Chairman





G2 माज् 2023 INDIA वसुवेव कुटुम्बकम् OME EARTH-ONE FAMILY-ONE FUTURE

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Indirect Taxes & Customs

08 जुलाई, 2024

DO No.28/News Letter/CH(IC)/2024

प्रिय सहमर्गी,

NACIN भोपाल की "हर बुधवार जीएसटी वार" पहल का 125वां एपिसोड पिछले सप्ताह आयोजित किया गया था और यह 53वीं जीएसटी परिषद बैठक में उठाए गए व्यापार-अनुकूल फैसलों पर केंद्रित था। मुझे वेबिनार में परिचयात्मक भाषण देने का अवसर मिला। इस तरह के वेबिनार जीएसटी के क्षेत्र में निरंतर सीखने और संवाद का नेतृत्व करते हैं और हितधारकों के बीच बहुत सराहना प्राप्त की है। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ और जीएसटी से संबंधित विषयों पर प्रासंगिक और उपयोगी चर्चाओं को सुविधाजनक बनाने में उनकी निरंतर सफलता की कामना करता हूं।

तस्करी विरोधी मोर्चे पर, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा स्पॉट प्रोफाइलिंग के आधार पर एक उत्कृष्ट मामला दर्ज किया गया। एक यात्री ने आगमन पर, एक बिल्कुल नया लुईस वुइटन बैग (Louis Vuitton Bag) रेड चैनल पर सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए 2.5 लाख रु. कीमत में घोषित किया। सीमा शुल्क यात्री ने शांतिपूर्वक रेड चैनल पर सीमा शुल्क का भुगतान किया और ग्रीन चैनल की ओर बढ़ गया। हालाँकि, रेड चैनल काउंटर के अधिकारी ने पैसेंजर की विदेश यात्रा की संदिग्ध रूप से आवृत्ति देखी और इसलिए, ग्रीन चैनल पार करने के बाद सीमा शुल्क अधिकारियों ने उसे रोक लिया। सामान की जांच करने पर 5.409 किलोग्राम वजन की सोने की 04 rectangular bars बरामद हुईं। सोना ले जाने के संदेह से बचने के लिए पैसेंजर ने जानबूझकर लुईस वुइटन बैग पर शुल्क का भुगतान किया था। समय पर अवरोधन करने का सारा श्रेय अधिकारियों की सतर्कता को जाता है!

चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारियों द्वारा खुफिया जानकारी के आधार पर, एक यात्री को रोका गया। चेक-इन बैगेज की जांच करने पर, 400 से अधिक अलग-अलग रंग के बेबी इगुआना (Iguanas) से भरे 2 बक्से बरामद किए गए। जबिक 335 जीवित इगुआना को उनके मूल देश में भेज दिया गया, बाकी दुर्भाग्य से उनकी अवैध यात्रा के दौरान मर गए। ये सभी इगुआना CITES के परिशिष्ट-। और II और वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-IV के अंतर्गत आते हैं। वल्नरेबल प्रजातियों को बचाने में महान कार्य!

अगले सप्ताह तक ।

भवदीय,

संजय समार

(संजय कुमार अग्रवाल)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण।